कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री चन्दौसी शू सेन्टर, अपो0 गुरूद्वारा, आजाद रोद, चन्दौसी।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**395 / 08, 24.10.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री चन्दौसी शू सेन्टर अपो0 गुरूद्वारा, आजाद रोद, चन्दौसी द्वारा दिनांक 24.10.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. यह कि फुटवियर, प्लास्टिक फुटवियर, प्लास्टिड वेस्ड फुटवियर जिन पर अपर तथा सोल अलग-अलग होता है व जिनको खॉंचों में स्ट्रेप डालकर मिलाया जाता है एवं जिनका खुदरा मूल्य (एम0 आर0 पी0) रु0 300/- से कम है, उसमें कर का दायित्व है या नहीं।

2. यह कि रु0 300/- से कम मूल्य वाले जूते जो बाजार में स्पोर्ट शूज, कैनवास शूज एवं स्कूल शूज के नाम से जाने जाते हैं तथा जिनके सोल व अपर को चिपकाकर या फिर सिलाई करके मिलाया जाता है एवं प्रान्त बाहर से आयात किया जाता है, उसके सम्बन्ध में करदेयता क्या है ?

3. यह कि उपरोक्त सभी प्रकार के फुटवियर जिन पर अपर व सोल अलग-अलग होता है एवं फार्म-38 के द्वारा प्रान्त बाहर से आयात किया जा रहा है जिसमें कभी सारा माल करमुक्त होता है तथा कभी कुछ माल करयोग्य एवं कुछ माल करमुक्त होता है, उसके सम्बन्ध में फार्म-38 की क्या अनिवार्यता है ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 02.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा पत्र संख्या-2738, दिनांक 01.12.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि विज्ञप्ति संख्या-1203, दिनांक 17.04.2008 के अनुसार दिनांक 15.04.2008 से प्रभावी रु0 300/- अधिकतम मूल्य अथवा उससे कम मूल्य के फुटवियर जिसमें मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर, हवाई चप्पल व स्ट्रेप सम्मिलित नहीं हैं करमुक्त हैं। इस आधार पर फुटवियर, प्लास्टिक फुटवियर, प्लास्टिक वेस्ड फुटवियर जिन पर अपर तथा सोल अलग-अलग होता है एवं जिनको खॉंचों में स्ट्रेप डालकर मिलाया जाता है तो ऐसे फुटवियर मोल्डेड फुटवियर की श्रेणी में आता है जिन पर 4% की दर से करदेयता होती है।

रु0 300/- अधिकतम मूल्य से कम मूल्य वाले जूते जो स्पोर्ट्स शूज, कैनवास शूज व स्कूल शूज के नाम से जाने जाते हैं वह मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत 4% की दर से करयोग्य हैं।

करयोग्य व करमुक्त माल के आयात किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि

व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से दोनों को फार्म-38 पर चढ़ाकर लाया जा सकता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता सर्वश्री चन्दौसी शू सेन्टर अपो0 गुरूद्वारा, आजाद रोद, चन्दौसी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के बिन्दु संख्या-1 एवं 2 में जिन फुटवियर पर करदेयता की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है उन फुटवियर पर कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत सर्वश्री अग्रवाल बूट हाउस, शिवाजी मार्केट, आगरा के प्रार्थना-पत्र संख्या-309 / 2008 पर पारित निर्णय दिनांक 02.09.2008 में करदेयता की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

बिन्दु संख्या-03 आयात के समय फार्म-38 की अनिवार्यता के सम्बन्ध में है। फार्म-38 की अनिवार्यता से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 से आच्छादित नहीं है। अत: इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि फुटवियर, स्पोर्ट्स शूज, कैनवास शूज एवं स्कूल शूज जिनके अपर तथा सोल अलग-अलग होते हैं एवं उनके अपर तथा सोल को खाँचों में स्ट्रेप डालकर, चिपकाकर अथवा सिलाई करके मिलाया जाता है पर कर की देयता पूर्व में ही उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत सर्वश्री अग्रवाल बूट हाउस, शिवाजी मार्केट, आगरा के प्रार्थना-पत्र संख्या-309 / 2008 पर पारित निर्णय दिनांक 02.09.2008 में निर्धारित किया जा चुका है। अत: पुन: कर की दर का अभिनिर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है।

आयातित फुटवियर पर फार्म-38 की अनिवार्यता से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर उ0 प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत दिया जाना वाँछित नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 जनवरी, 2014 ह0 / 07.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।